

71 18 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में एक बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के उद्देश्य से 'आंतरिक उम्मीदवार' की परिभाषा।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में शीर्ष पदों पर चयन के लिए लागू नीति के अनुसार, जब तक बाहर से उपलब्ध उम्मीदवार बेहतर तरीके से नियत न किए जा सकें, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में कार्यरत आंतरिक उम्मीदवारों को बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एक आंतरिक उम्मीदवार की परिभाषा बोर्ड स्तर के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की सीधी छंटनी करना है। अतः, सरकार द्वारा आंतरिक उम्मीदवारकी निम्नलिखित परिभाषा अनुमोदित की गई है (कोलन)

"आंतरिक उम्मीदवार वह होता है, जो किसी उद्यम का कर्मचारी होता है, जिसमें पद रिक्त होने की तारीख को वहां न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और उसका सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी/सरकारी कर्मचारी के रूप में कहीं अन्य लियन न हो। ऐसा कर्मचारी, जिसका केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में किसी पद पर लियन हो, को भी उस उद्यम का एक आंतरिक उम्मीदवार माना जा सकता है बशर्ते उसने उस उद्यम में लियन धारण करने की तारीख को न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तथा वह 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए उस उद्यम से बाहर न रहा हो।"

2. समस्त प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया उपर्युक्त निर्णय पर ध्यान दें।

[डीपीई का. ज्ञा. सं. **18(2)/96-जीएम-जीएल-81**, दिनांक 16 मई, 2007]
